न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0–275/2026
बरबीघा थाना कांड सं0–41/26
बिहार राज्य बनाम् महेन्द्र मांझी।

महेन्द्र मांझी पे0 स्व0 जागो मांझी, लगभग 55 वर्ष,
साकिन–नर्सरी नारायणपुर, थाना–बरबीघा, जिला–शेखपुरा, ...आवेदक।

<u>वनाम</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : एच0एम0 काजमी, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

<u>आ दे श</u>

13.03.2026 काराधीन अभियुक्त महेन्द्र मांझी की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 27.02.2026 से काराधीन है। बरबीघा थाना कांड संख्या–41/2026 अंतर्गत प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लंबित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक द्वारा किसी भी न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन एवं अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक के सचेत कब्जे से किसी भी प्रकार शराब बरामद नहीं किया गया है। आवेदक को शराब के धंधा से कोई वास्ता नहीं है। आवेदक पर लगाया गया आरोप सरासर गलत है। जप्ती सूची में जो भी गवाह है वह सभी विभागीय है तथा किसी भी स्वतंत्र साक्षी का हस्ताक्षर जप्ती सूची पर नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि मुकदमा बनावटी है। केवल खानापुरी के तहत आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक को जमानत दिये जाने के उपरांत फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक दिनांक 27.02.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0—275/2026
बरबीघा थाना कांड सं0—41/26
बिहार राज्य बनाम् महेन्द्र मांझी।

लगातार

13.03.2026 उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि बरबीघा थाना दिनांक 27.02.2026 को समय करीब 06:00 बजे प्रातः गश्ती एवं अवैध शराब के विरुद्ध छापामारी में सशस्त्र बल के साथ विशेष छापामारी में थाना से प्रस्थान किया। गश्ती के क्रम में समयक करीब 08:15 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम नर्सरी नारायणपुर में 1. महेन्द्र मांझी पे0 स्व0 जागो मांझी सा0 नर्सरी नारायणपुर थाना बरबीघा जिला शेखपुरा अपने घर में अवैध देशी शराब का बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना वरीय पदाधिकारी को अवगत कराकर आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम नर्सरी नारायणपुर पहुंचकर महाल चौकीदार के साथ समय करीब 08:30 बजे सुबह में महेन्द्र मांझी के घर के पास पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति अपने घर से भागने का प्रयास करने लगा। जिसे साथ के बल के द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम महेन्द्र मांझी पे0 स्व0 जागो मांझी बताया। विधिवत तलाशी के नियमों का पालन करते हुए पकड़ाये व्यक्ति महेन्द्र मांझी के मिट्टी एवं फुस के बने घर का तलाशी लेने के क्रम में घर के आंगन में कपड़ा में छिपाकर रखा गया एक उजला रंग के प्लास्टिक के एक लीटर वाले बोतल में भरा हुआ करीब 01 लीटर एवं एक उजला रंग के दो लीटर वाले एक प्लास्टिक के बोतल में करीब 02 लीटर भरा हुआ तथा हरे रंग के प्लास्टिक के दो लीटर वाले एक बोतल से करीब 02 लीटर पुरा भरा हुआ तरल पदार्थ बरामद हुआ। कुल करीब 05 लीटर अवैध देशी चुलाई शराब बरामद हुआ। बरादम सभी सामानों का विधिवत दोनों साक्षियों के समक्ष जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया।

अभिलेख का अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। आवेदक दिनांक 27.02.2026 से काराधीन है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। वाद का अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक का एक जमानतदार सगे—संबंधी होंगे एवं इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि——

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0—275/2026
बरबीघा थाना कांड सं0—41/26
बिहार राज्य बनाम् महेन्द्र मांझी।

लगातार

13.03.2026

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे,
3. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 13—03—2026.

Date Of Judgement/Order	13-03-2026
Date Of Reserving Judgement/Order	13-03-2026
Uploading date	16-03-2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary